सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

सेवा में,

प्राचार्य

....

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

....

....

महोदय,

विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 05.06.2018 को पारित निर्णयानुसार सत्र 2018-19 से आचार्य (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्ययन-अध्यापन एवं परीक्षा में सेमेस्टर व्यवस्था लागू की गयी है। कार्यपरिषद् के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में सत्र 2018-19 से आचार्य (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में सेमेस्टर व्यवस्था प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। पाठ्यक्रम एवं अन्य सूचना सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की वेब-साइट पर समय-समय पर उपलब्ध होगी।

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

संख्या : शै॰ 752/2018 दिनांक 14.06.2018

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक, कुलसचिव।
3. सिस्टम मैनेजर को इस अनुरोध के साथ कि सूचना एवं पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

14/6/18

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की आपात बैठक

दिनांक : 05.06.2018
समय : अपराह्ण 4:00 बजे से
स्थान : योग साधना केन्द्र

उपस्थिति

1- प्रो॰ राजाराम शुक्ल, कुलपति- अध्यक्ष

2-	प्रो॰ सदानन्द शुक्ल	3-	प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी
4-	प्रो॰ राजनाथ	5-	प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय
6-	डा॰ सूर्यकान्त	7-	डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा
8-	वित्त अधिकारी	9-	कुलसचिव - सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए कार्यपरिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

कार्यक्रम- सत्र 2018-19 से आचार्य (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय (सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित) के अध्यापन एवं परीक्षा में सेमेस्टर व्यवस्था लागू करने के संबंध में विचार।

आचार्य (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय (सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित) के अध्यापन एवं परीक्षा में सेमेस्टर व्यवस्था सत्र 2018-19 से लागू करने के सन्दर्भ में प्रस्ताव कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत करते हुए परिषद् को सूचित किया गया कि, सम्बन्धित प्रस्ताव पर विद्या परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 05.06.2018 में स्वीकृत प्रदान कर दी है।

कार्यपरिषद् ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि आचार्य (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय (सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित) के अध्यापन एवं परीक्षा में सेमेस्टर व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू की जायें।

साथ ही विद्या परिषद् में दिये गये निर्देश के अनुसार सेमेस्टर प्रणाली लागू होने की सूचना सम्बद्ध महाविद्यालयों को डाक से सूचित करते हुए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जायें तथा सेमेस्टर प्रणाली का पाठ्यक्रम को भी यथा शीघ्र वेबसाईट पर अपलोड किया जायें।

अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन करने की घोषणा की।

5/6/18

कुलसचिव
सं॰सं॰वि॰वि॰, वाराणसी

E:\Word\Kp\2018\Em05.06.2018